न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :—चेतन चौहान, आर.ए.एस. कार्यवाहक जिला कलक्टर

मुकदमा नम्बर :— 03 / 2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2023 / 8)

उनवान प्रकरणः—

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

श्री रामशंकर पुत्र श्री विशम्भर उम्र 23 वर्ष जाति ठाकुर निवासी मझउआ ग्राम पंचायत अजीतपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर ——————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : —

1 — प्रार्थी की ओर से :— श्री गजेन्द्र सिंह जिला रसद अधिकारी धौलपुर
2 — अप्रार्थी की ओर से :— स्वंय श्री रामशंकर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

निर्णय *दिनांक* 23.01..2023

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 13.01.2023 को जिला रसद अधिकारी धौलपुर एवं प्रार्थी द्वारा धौलपुर रोड सैपऊ स्थित अनाम दुकान,गोपाल मोटर्स के पास सैंपऊ पर घरेलू एलपीजी की अवैध रिफरिंग एवं दुरूपयोग के सम्बध में जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में श्री रामशंकर पुत्र श्री विशम्भर उम्र 23 वर्ष जाति ठाकुर निवासी मझउआ ग्राम पंचायत अजीतपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। श्री रामशंकर द्वारा बताया गया कि वह दुकान में ऑटो में घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी रिफलिंग का कार्य करता है उनके द्वारा ऑटो में गैस 82 रू0 प्रति किग्रा. की दर से भरना बताया तथा दुकान पर पाये गये कुल 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.)बिना बुकिंग तथा बिना बिल के लिया जाना बताया। मौके से कुल 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस इण्डेन मार्का, 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा अपोलो कम्पनी, 02 रिफलिंग मोटर मय इलैक्ट्रिक तार, 02 बांसुरी तथा 02 पाईप पांच फीट व 02 गैस पाईप तीन फीट जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लघंन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर सैपऊ स्थित पिताम्बरा इण्डेन ग्रामीण वितरक के मैनेजर श्री अमित कुमार पुत्र लाखनसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी सैपऊ की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः निवेदन है कि 06 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन

मार्का मय गैस 55 किलोग्राम, 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा अपोलो कम्पनी, 02 रिफलिंग मोटर मय इलैक्ट्रिक तार, 02 बांसुरी तथा 02 पाईप पांच फीट व 02 गैस पाईप तीन फीट को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि एल.पी.जी. ज्वलनशील,विस्फोटक व जनहित की वस्तु है। अतः धारा 6ए(2)आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द अभिग्रहण दिनांक 13.01.23, फर्द सुपुर्दगीनामा दिनांक 13.01.23, फर्द मौका दिनांक 13.1.23 एवं नजरी नक्शा की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी रामशंकर स्वंय उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उसने कथन किया कि प्रार्थी की परचूने की दुकान है एवं मेरी दुकान पर किसी प्रकार की एलपीजी रिफलिंग का कार्य नहीं किया जाता है। दिनांक 13.01.2023 को रसद विभाग की टीम द्वारा की गई जांच में मेरी दुकान पर पाया गया इलैक्ट्रोनिक कांटा दुकान में सामान तौलने के काम में लिया जाता है एवं दुकान पर रखे एलपीसी गैस सिलेण्डर मेरे घरेलू सिलेण्डर थे जिनके समस्त दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। प्रार्थी की एक कबाडे की दुकान भी है जांच दल को मेरी दुकान पर पाई गई 02 रिफलिंग मोटर मेरी कबाड की दुकान की थी जो उस समय इस दुकान पर रखी थी। उन्होने अपने जबाव के साथ गैस कनेक्शन पासबुक की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी के विरूद्व दर्ज मुकद्दमे को निरस्त कर जब्तशुदा माल को प्रार्थी को वापस दिलवाये जाने की कृपा करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थी ने अपनी वहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की परचूने की दुकान है एवं मेरी दुकान पर किसी प्रकार की एलपीजी रिफलिंग का कार्य नहीं किया जाता है। दिनांक 13.01.2023 को रसद विभाग की टीम द्वारा की गई जांच में मेरी दुकान पर पाया गया इलैक्ट्रोनिक कांटा दुकान में सामान तौलने के काम में लिया जाता है एवं दुकान पर रखे एलपीसी गैस सिलेण्डर मेरे घरेलू सिलेण्डर थे जिनके समस्त दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। प्रार्थी की एक कबाडे की दुकान भी है जांच दल को मेरी दुकान पर पाई गई 02 रिफलिंग मोटर मेरी कबाड की दुकान की थी जो उस समय इस दुकान पर रखी थी। उक्त सभी गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। गैस कनेक्शन पास बुक की फोटो प्रति जबाव के साथ पेश की है। अप्रार्थी के विरूद्व दर्ज मुकद्दमे को निरस्त कर जब्तशुदा माल को प्रार्थी को वापस दिलवाया जावें।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दौराने वहस अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित कथनो को स्वीकार करते हुये कथन किया कि जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों एंव अन्य सामान को अप्रार्थी को वापिस किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि दिनांक 13.01.2023 को जिला रसद अधिकारी व

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा धौलपुर रोड सैपऊ स्थित अनाम दुकान,गोपाल मोटर्स के पास सैंपऊ पर घरेलू एलपीजी की अवैध रिफरिंग एवं दुरूपयोग के सम्बध में जांच की गई। मौके से कुल 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस इण्डेन मार्का, 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा अपोलो कम्पनी, 02 रिफलिंग मोटर मय इलैक्ट्रिक तार, 02 बांसुरी तथा 02 पाईप पांच फीट व 02 गैस पाईप तीन फीट जब्त किये गये। अप्रार्थी से उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों के दस्तावेजों संबधी पूछताछ की गई जिस बावत उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया और पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी इस बावत कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। यहॉ पर अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की परचूने की दुकान है एवं मेरी दुकान पर किसी प्रकार की एलपीजी रिफलिंग का कार्य नहीं किया जाता है। दिनांक 13.01.2023 को रसद विभाग की टीम द्वारा की गई जांच में मेरी दुकान पर पाया गया इलैक्ट्रोनिक कांटा दुकान में सामान तौलने के काम में लिया जाता है एवं दुकान पर रखे एलपीसी गैस सिलेण्डर मेरे घरेलू सिलेण्डर थे जिनके समस्त दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। प्रार्थी की एक कबाडे की दुकान भी है जांच दल को मेरी दुकान पर पाई गई 02 रिफलिंग मोटर मेरी कबाड की दुकान की थी जो उस समय इस दुकान पर रखी थी। उक्त सभी गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। गैस कनेक्शन पास बुक की फोटो प्रति जबाव के साथ पेश की है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बाबू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दौराने वहस अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित कथनो एवं प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करते हुये अप्रार्थी से जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान को अप्रार्थी को वापिस किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौके के बयान एवं अप्रार्थी के बयान लिये गये हो ऐसे कोई बयानों की प्रति पेश नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन मार्का मय गैस 55 किलोग्राम, 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा अपोलो कम्पनी, 02 रिफलिंग मोटर मय इलैक्ट्रिक तार, 02 बांसुरी तथा 02 पाईप पांच फीट व 02 गैस पाईप तीन फीट को अप्रार्थी को वापिस किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह प्रकरण में जब्त शुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन मार्का मय गैस 55 किलोग्राम, 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा अपोलो कम्पनी, 02 रिफलिंग मोटर मय इलैक्ट्रिक तार, 02 बांसुरी तथा 02 पाईप पांच फीट व 02 गैस पाईप तीन फीट को अप्रार्थी श्री रामशंकर पुत्र श्री विशम्भर उम्र 23 वर्ष जाति ठाकुर निवासी मझउआ ग्राम पंचायत अजीतपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर को वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चेतन चौहान)
कार्य वाहक जिला कलक्टर,
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)